

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6
संख्या-06/2017/689/29-6-2017
लखनऊ: दिनांक 25 अप्रैल, 2017

शुद्धि-पत्र

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये परिसीमन के पश्चात अस्तित्व में आयी नई ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेता नियुक्त करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-4/2017/641/29-6-2017, दिनांक 21 अप्रैल, 2017 के 'विषय' में अंकित "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानों के आवंटन में लाटरी निकालने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में" के स्थान पर निम्नवत पढा जायें :-

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये परिसीमन के पश्चात अस्तित्व में आयी नई ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेता नियुक्त करने के सम्बन्ध में"

2- उक्त शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-06/2017/689(1)29-6-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग,30प्र0।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी 30प्र0।
- 3- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,30प्र0।
- 4- समस्त संयुक्त आयुक्त (खाद्य)/उपायुक्त (खाद्य), 30प्र0।
- 5- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी/ जिला खाद्य विपणन अधिकारी,30प्र0।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।